

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ 1-116-2009-1-उनसठ.—राज्य शासन, एतद्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन संविदा आधार पर सेवाओं के कतिपय संवर्गों की भर्ती के संबंध में दिनांक 18 जनवरी 2013 को जारी एवं अधिसूचित किये गये “मध्यप्रदेश आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी संविदा सेवक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2012” में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम के नियम 6 के उपनियम (1) में “संविदा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें कि नियुक्ति की जाना है, 60 वर्ष होगी” के स्थान पर “संविदा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें कि नियुक्ति की जाना है, 40 वर्ष होगी” प्रतिस्थापित किया जाता है.

No. F 1-116-2009-1-LIX.—The State Government hereby makes following amendment in “The Madhya Pradesh Ayurved/Homoeopathy/Unani Contract Service (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2012” relating to the recruitment of certain categories of service under National Rural Health Mission on contract basis under the Department of Ayush, Madhya Pradesh, issued and notified on 18th January, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the sub rule (1) of rule 6 of the said rules, “The maximum age limit for contractual appointment shall be 40 years on the first day of January of the year in which the appointment is to be made.” is substituted in place of “The maximum age limit for contractual appointment shall be 60 years on the first day of January of the year in which the appointment is to be made.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.

587